# अनुदान संख्या 65 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
# GRANT No. 65 - MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

| | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | |
| स्वीकृत– | Voted– | | | | |
| मूल | Original | 3071,86,00 | 3071,88,00 | 2439,27,60 | -632,60,40 |
| पूरक | Supplementary | 2,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 620,96,00 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | |
| स्वीकृत– | Voted– | | 83,80,00 | 77,89,86 | -5,90,14 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | शून्य Nil |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | Major Head "3451" Secretariat- Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 765.00 | 963.00 | 919.49 | -43.51 |
| पु. | R. | 198.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र | Major Head "2552" North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 24345.00 | 380.55 | .. | -380.55 |
| पु. | R. | –23964.45 | | | |

| | | | | कुल अनुदान<br>Total grant | वास्तविक व्यय<br>Actual expenditure | बचत-<br>Saving- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (हजार रुपयों में)<br>(In thousands of rupees) |
| शीर्ष | Head | | | | | |
| मुख्य शीर्ष "2851"<br>ग्राम और लघु उद्योग | Major Head "2851"<br>Village and Small Industries | | | | | |
| मू. | O. | 281326.00 | | | | |
| पू. | S. | 2.00 | | 243748.45 | 243008.11 | -740.34 |
| पु. | R. | -37579.55 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "3601"<br>राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601"<br>Grants–in–aid to State Governments | | | | | |
| मू. | O. | 700.00 | | | | |
| | | | | .. | .. | .. |
| पु. | R. | -700.00 | | | | |

(I) ₹52094.00 लाख का प्रावधान इक्कानवे शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹50915.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹52094.00 lakhs remained wholly unutilised under ninety one heads; of these ₹50915.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(A) Major Head "2552" –

(क) "ग्राम और लघु उद्योग - खादी और ग्रामोद्योग" -

(a) "Village and Small Industries – Khadi and Village Industries" –

(i) "खादी उद्योग" - ₹1134.00 लाख;

(i) "Khadi Industries" - ₹1134.00 lakhs;

(ii) "ग्रामोद्योग" - ₹816.00 लाख; और

(ii) "Village Industries" - ₹816.00 lakhs; and

(ख) "ग्राम और लघु उद्योग - नारियल रेशा उद्योग" -

(b) "Village and Small Industries – Coir Industries" –

(i) "नारियल रेशा बोर्ड" - ₹380.00 लाख।

(i) "Coir Board" - ₹380.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(ii) "नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन" - ₹160.00 लाख मशीनरी विनिर्माताओं को पैनल में लिए जाने के कार्यान्वयन और एंडलाइन प्रत्यक्ष सत्यापन में विलंब होने के कारण थे।

(ii) "Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation of Coir Industry" – ₹160.00 lakhs – due to delayed implementation of empanelment of machinery manufacturers and endline physical verification.

(ग) "ग्राम और लघु उद्योग - अन्य ग्रामोद्योग" -

(c) "Village and Small Industries – Other Village Industries" –

(i) "पारंपरिक उद्योगों को पुनजीर्वित करने के लिए निधियों संबंधी स्कीम" - ₹553.00 लाख; और

(i) "Scheme of funds for Regeneration of Traditional Industries" – ₹553.00 lakhs; and

(ii) "खादी उद्योगों और शिल्पकारों की उत्पादकता और स्पर्धात्मकता बढ़ाने संबंधी स्कीम" - ₹150.00 लाख।

(ii) "Scheme for Enhancing Productivity and Competitiveness of Khadi Industries and Artisans" – ₹150.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of viable proposals from North Eastern States.

(iii) "खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (एडीबी सहायता)" - ₹500.00 लाख स्कीम के अंतर्गत दूसरे ट्रांच जारी किए जाने के लिए पालिसी मैट्रिक्स में निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण थे।

(iii) "Khadi Reform and Development Programme (ADB Assistance)" - ₹500.00 lakhs – due to non-fulfillment of conditions laid down in policy matrix for release of 2nd tranche under the scheme.

(iv) "खादी कामगारों के लिए वर्कशेड स्कीम" - ₹200.00 लाख;

(iv) "Workshed Scheme for Khadi Artisans" – ₹200.00 lakhs;

(v) “प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम” - ₹13018.00 लाख।

(घ) “ग्राम और लघु उद्योग - लघु उद्योग” -

(i) “राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड” - ₹510.00 लाख;

(ii) “संवर्धनात्मक सेवा संस्थाएं और कार्यक्रम” - ₹265.00 लाख;

(iii) “एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ” - ₹500.00 लाख; और

(iv) “ऋण सहायता कार्यक्रम” - ₹2900.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(v) “प्रौद्योगिकी सहायता संस्था और कार्यक्रम की गुणत्ता” - ₹1000.00 लाख पूर्वोत्तर राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(vi) “राष्ट्रीय नवप्रवर्तन निधि” - ₹1000.00 लाख योजना आयोग द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ङ) “ग्राम और लघु उद्योग - अन्य व्यय - प्रशिक्षण संस्थाएं” - ₹1000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग

(v) “Prime Minister’s Employment Generation Programme” – ₹13018.00 lakhs:

(d) “Village and Small Industries – Small Scale Industries” –

(i) “National Small Industries Corporation Limited” – ₹510.00 lakhs;

(ii) “Promotional Service Institutions and Programmes” – ₹265.00 lakhs;

(iii) “MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles” –₹500.00 lakhs; and

(iv) “Credit Support Programme” – ₹2900.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(v) “Quality of Technology Support Institution and Programme” – ₹1000.00 lakhs – due to non-receipt of viable proposals from North Eastern States.

(vi) “National Innovation Fund” – ₹1000.00 lakhs – due to non-approval of the scheme by the Planning Commission.

(e) “Village and Small Industries – Other Expenditure – Training Institutions” – ₹1000.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation

कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और प्रस्तावों के अनुमोदन में आवश्यक औपचारिकताओं और प्रक्रियात्मक विलंब के कारण थे।

on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and non-completion of requisite formalities and procedural delay in approval of the proposals.

(खा) मुख्य शीर्ष "2851" -

(क) "लघु उद्योग - राष्ट्रीय नवप्रवर्तन निधि" - ₹7000.00 लाख स्कीम को योजना आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ख) "खादी और ग्राम उद्योग - खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (एडीबी सहायता)" - ₹3490.00 लाख स्कीम के अंतर्गत दूसरे ट्रांच को जारी करने के लिए पॉलिसी मैट्रिक्स में निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण थे।

(ग) "नारियल रेशा उद्योग - नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन" - ₹1120.00 लाख मशीनरी विनिर्माताओं को पैनल में लिए जाने को लागू करने और एंडलाइन प्रत्यक्ष सत्यापन में विलंब होने के कारण थे।

(घ) "अन्य ग्रामोद्योग" -

(i) "पारंपरिक उद्योगों के नवीकरण के लिए निधि संबंधी स्कीम" - ₹3872.00 लाख स्कीम के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ii) "खादी उद्योगों और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की स्कीम" - ₹1047.00 लाख;

(ङ) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" -

(B) Major Head "2851" –

(a) "Small Scale Industries– National Innovation Fund"- ₹7000.00 lakhs – due to non-approval of the scheme by the Planning Commission.

(b) "Khadi and Village Industries – Khadi Reform and Development Programme (ADB Assistance)"- ₹3490.00 lakhs – due to non-fulfillment of conditions laid down in policy matrix for release of 2nd tranche under the scheme.

(c) "Coir Industries – Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation of Coir Industry - ₹1120.00 lakhs – due to delayed implementation of empanelment of machinery manufacturers and endline physical verification.

(d) "Other Village Industries"-

(i) "Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries" - ₹3872.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals under the scheme.

(ii) "Scheme for Enhancing Productivity and Competitiveness of Khadi Industries and Artisans"- ₹1047.00 lakhs;

(e) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(i) "पारंपरिक उद्योगों को पुनजीर्वित करने के लिए निधि की स्कीम - एससी उप योजना" - ₹664.00 लाख;

(ii) "नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन - एससी उप योजना" - ₹190.00 लाख; और

(iii) "खादी उद्योगों और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्कता बढ़ाने संबंधी स्कीम - एससी उप योजना" - ₹180.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

(iv) "विपणन विकास सहायता कार्यक्रम - एससी उप योजना" - ₹650.00 लाख स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने और स्कीम मांग आधारित होने के कारण थे।

(v) "खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (एडीबी सहायता) - एससी उप योजना" - ₹600.00 लाख स्कीम के अंतर्गत दूसरे ट्रांच जारी करने के लिए पालिसी मैट्रिक्स में निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण थे।

(vi) "राष्ट्रीय नव-प्रवर्तन निधि" - ₹1200.00 लाख; और

(च) "जनजाति क्षेत्र उप योजना" -

(i) "राष्ट्रीय नव-प्रवर्तन निधि" - ₹800.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत स्कीम को योजना आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(i) "Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries – SC Sub Plan"- ₹664.00 lakhs;

(ii) "Rejuvenation, Modernization and Technology Upgradation of Coir Industry – SC Sub Plan"- ₹190.00 lakhs; and

(iii) "Scheme for Enhancing Productivity and Competitiveness of Khadi Industries and Artisans – SC Sub Plan"- ₹180.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to availability of unspent balances of previous year with implementing agencies and non-receipt of viable proposals.

(iv) "Marketing Development Assistance Programme – SC Sub Plan"- ₹650.00 lakhs - due to non-receipt of proposals under the scheme, scheme being demand based.

(v) "Khadi Reform and Development Programme (ADB Assistance) – SC Sub Plan"- ₹600.00 lakhs - due to non-fulfillment of conditions laid down in policy matrix for release of 2nd tranche under the scheme.

(vi) "National Innovation Fund" – ₹1200.00 lakhs; and

(f) "Tribal Area Sub Plan" –

(i) "National Innovation Fund" – ₹800.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-approval of the scheme by the Planning Commission.

(ii) "प्रौद्योगिकी सहायता संस्था और कार्यक्रम की गुणत्ता - जनजाति उप योजना" - ₹3750.00 लाख स्कीम के जनजाति उप योजना घटक के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(iii) "विपणन विकास सहायता कार्यक्रम - जनजाति उप योजना" - ₹450.00 लाख स्कीम मांग आधारित होने के कारण स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(iv) "पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निधि संबंधी स्कीम - जनजाति उप योजना" - ₹453.00 लाख व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(v) "नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन - जनजाति उप योजना" - ₹130.00 लाख मशीनरी विनिर्माताओं को पैनल में लिए जाने को लागू करने और एंडलाइन प्रत्यक्ष सत्यापन में विलंब होने के कारण थे।

(vi) "खादी उद्योगों और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने वाली स्कीम - जनजाति उप योजना" - ₹123.00 लाख कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(vii) "खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (एडीबी सहायता) - जनजाति उप योजना" - ₹410.00 लाख स्कीम के अंतर्गत दूसरे ट्रांच को जारी करने के लिए पालिसी मैट्रिक्स में निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण थे।

(ii) "Quality of Technology Support Institution and Programme – Tribal Sub Plan" – ₹3750.00 lakhs - due to non-receipt of proposals under Tribal Sub Plan Component of the scheme.

(iii) "Marketing Development Assistance Programme - Tribal Sub Plan"- ₹450.00 lakhs - due to non-receipt of proposals under the scheme, scheme being demand based.

(iv) "Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries- Tribal Sub Plan"- ₹453.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals and availability of unspent balances of previous year with implementing agencies.

(v) "Rejuvenation, Modernization and Technology Upgradation of Coir Industry – Tribal Sub Plan" – ₹130.00 lakhs - due to delayed implementation of empanelment of machinery manufacturer and endline physical verification.

(vi) "Scheme for Enhancing Productivity and Competitiveness of Khadi Industries and Artisans - Tribal Sub Plan" – ₹123.00 lakhs - due to availability of unspent balances of previous year with implementing agencies.

(vii) "Khadi Reform and Development Programme (ADB Assistance) – Tribal Sub Plan"– ₹410.00 lakhs - due to non-fulfillment of conditions laid down in policy matrix for release of 2nd tranche under the scheme.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम और लघु उद्योग - लघु उद्योग - डाटा बेस का उन्नयन - राज्य सरकार" - ₹700.00 लाख पंचवर्षीय जनगणना स्कीम के अंतर्गत नमूना सर्वेक्षण न किए जाने के कारण थे।

(C) Major Head "3601"- "Grants for Central Plan Schemes – Village and Small Industries - Small Scale Industries - Upgradation of Data Base – State Government" – ₹700.00 lakhs -due to non-conducting of sample survey under quinquennial census scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अनुसंधान और विकास - एस और टी योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान" - ₹564.87 लाख की बचत (₹878.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Research and Development - Provision for implementation of S&T Plan" – saving of ₹564.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹878.00 lakhs); and

(खा) "लघु उद्योग" -

(B) "Small Scale Industries" -

(क) "राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि." - ₹3681.55 लाख की बचत (₹10270.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "National Small Industries Corporation Limited" – saving of ₹3681.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10270.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances with implementing agencies.

(ख) "प्रौद्योगिकी सहायता संस्था और कार्यक्रम की गुणत्ता" - ₹4129.53 लाख की बचत (₹38590.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम स्कीमों के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Quality of Technology Support Institution and Programme" – saving of ₹4129.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38590.00 lakhs) was due to receipt of less proposals under various National Manufacturing Competitiveness Programme Schemes.

(ग) "संवधर्नात्मक सेवा संस्था और कार्यक्रम" - ₹1088.04 लाख की बचत (₹11432.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों के मांग आधारित होने के कारण विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(c) "Promotional Service Institutions and Programmes" – saving of ₹1088.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11432.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals under various schemes, schemes being demand based.

(घ) "एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ" - ₹395.15 लाख की बचत (दिसंबर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक

(d) "MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles" - saving of ₹395.15 lakhs (against the total sanctioned

पूरक अनुदान सहित ₹7000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निबंधन और शर्तें पूरी न किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "विपणन विकास सहायता कार्यक्रम" - ₹538.93 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के मांग आधारित होने के कारण बौद्धिक संपदा अधिकार स्कीम के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(च) "डाटा बेस का उन्नयन" - ₹2705.77 लाख की बचत (₹4027.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंचवर्षीय जनगणना स्कीम के अंतर्गत नमूना सर्वेक्षण न किए जाने और राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) "खादी और ग्राम उद्योग - खादी और ग्राम उद्योग आयोग" - ₹1270.79 लाख की बचत (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹33187.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने और व्यवहार्य प्रसताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) "नारियल रेशा उद्योग - "नारियल रेशा बोर्ड" - ₹1585.58 लाख की बचत (₹4806.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) "अन्य ग्राम उद्योग" -

(क) "खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम" - ₹458.00 लाख की बचत (₹1396.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए

provision of ₹7000.00 lakhs including token supplementary of ₹1.00 lakh obtained in December, 2012) was due to non-fulfillment of terms and conditions by implementing agencies.

(e) "Marketing Development Assistance Programme" – saving of ₹538.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals under Intellectual Property Rights Scheme, scheme being demand based.

(f) "Upgradation of Data Base" - saving of ₹2705.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4027.00 lakhs) was due to non-conducting of sample survey under quinquennial census scheme and non-receipt of utilization certificates from State Governments.

(C) "Khadi and Village Industries – Khadi and Village Industries Commission" – saving of ₹1270.79 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹33187.00 lakhs including token supplementary of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013) was due to availability of unspent balances with implementing agencies and non-receipt of viable proposals.

(D) "Coir Industries" –"Coir Board" – saving of ₹1585.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4806.00 lakhs);

(E) "Other Village Industries" –

(a) "Workshed Scheme for Khadi Artisans" – saving of ₹458.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1396.00 lakhs); and

(b) "Strengthening of Infrastructure of existing weak Khadi Institutions and Assistance for

सहायता" - ₹426.40 लाख की बचत (₹590.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(ग) "महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान" - ₹868.77 लाख की बचत (₹1150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(चा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" -

(क) "प्रौद्योगिकी सहायता संस्था और कार्यक्रम की गुणत्ता - अनुसूचित जाति उप योजना" - ₹4447.88 लाख की बचत (₹4460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "संवधर्नात्मक सेवा संस्थाएं और कार्यक्रम - अनुसूचित जाति उप योजना" - ₹220.21 लाख की बचत (₹870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप योजना संघटक के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(ग) "एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ - अनुसूचित जाति उप योजना" - ₹299.82 लाख की बचत (₹2700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निबंधन और शर्तें पूरी न किए जाने के कारण हुई।

(घ) "खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम - अनुसूचित जाति उप योजना" - ₹123.00 लाख की बचत (₹240.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष का

Marketing Infrastructure" – saving of ₹426.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹590.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to availability of unspent balances with implementing agencies.

(c) "Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation" – saving of ₹868.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1150.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with implementing agencies and non-receipt of viable proposals.

(F) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(a) "Quality of Technology Support Institution and Programme – SC Sub Plan" – saving of ₹4447.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4460.00 lakhs); and

(b) "Promotional Service Institutions and Programmes – SC Sub Plan" – saving of ₹220.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹870.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals under Scheduled Castes Sub Plan Component under various schemes.

(c) "MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles – SC Sub Plan" – saving of ₹299.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs) was due to non-fulfillment of terms and conditions by implementing agencies.

(d) "Workshed Scheme for Khadi Artisans – SC Sub Plan" – saving of ₹123.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹240.00 lakhs) was due to availability of

अव्ययित शेष उपलब्ध होने और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

unspent balances of previous year with implementing agencies and non-receipt of viable proposals.

(ङ) "प्रशिक्षण संस्थाएं - अनुसूचित जाति उप योजना" - ₹392.37 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(e) "Training Institutions – SC Sub Plan" – saving of ₹392.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to receipt of less proposals under the scheme.

(च) "ग्राम उद्योग" - ₹463.62 लाख की बचत (₹896.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(f) "Village Industries" – saving of ₹463.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹896.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with implementing agencies.

(छ) "नारियल रेशा उद्योग" - ₹507.79 लाख की बचत (₹540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(g) "Coir Industries" – saving of ₹507.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹540.00 lakhs) was due to non-approval of the scheme by the Planning Commission.

(ज) "राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. - अनुसूचित जाति उप योजना" - ₹187.16 लाख की बचत (₹220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(h) "National Small Industries Corporation Limited – SC Sub Plan" – saving of ₹187.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹220.00 lakhs); and

(छा) "जनजाति क्षेत्र उप योजना" -

(G) "Tribal Area Sub Plan" –

(क) "संवर्धनात्मक सेवा संस्थाएं और कार्यक्रम - जनजाति क्षेत्र उप योजना" - ₹185.19 लाख की बचत (₹610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Promotional Service Institutions and Programmes – Tribal Sub Plan" – saving of ₹185.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹610.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत स्कीम मांग आधारित होने की वजह से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals, scheme being demand based.

(ख) "एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ - जनजाति उप योजना" - ₹472.00 लाख की बचत (₹1401.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निबंधन और शर्तें पूरी न किए जाने के कारण हुई।

(b) "MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles – Tribal Sub Plan"– saving of ₹472.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1401.00 lakhs) was due to non-fulfillment of terms and conditions by implementing agencies.

(ग) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - जनजाति उप योजना" - ₹1069.34 लाख की बचत (₹10702.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) "ग्राम उद्योग" - ₹256.90 लाख की बचत (₹552.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) "नारियल रेशा उद्योग" - ₹349.50 लाख की बचत (₹370.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹254.64 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1001.77 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2013 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - खादी उद्योग" - ₹660.46 लाख।

(खा) "जनजाति क्षेत्र उप योजना - खादी उद्योग" - ₹341.31 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(c) "Prime Minister's Employment Generation Programme – Tribal Sub Plan" – saving of ₹1069.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10702.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies.

(d) "Village Industries" - saving of ₹256.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹552.00 lakhs); and

(e) "Coir Industries" - saving of ₹349.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹370.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances of previous year with implementing agencies.

(III) Under four heads savings of ₹254.64 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 15 percent to 98 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹1001.77 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2013 under Major Head "2851" - under the following heads:-

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Khadi Industries" – ₹660.46 lakhs.

(B) "Tribal Area Sub Plan - Khadi Industries"- ₹341.31 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय" - ₹154.49 लाख का अधिक व्यय (₹765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और स्थापना व्यय से संबंधित लंबित बिल के समाशोधन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "3451" - "Secretariat – Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises" –excess of ₹154.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹765.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salary and clearance of pending bills relating to establishment expenses.

(खा) मुख्य शीर्ष "2851" -

(क) "लघु उद्योग - ऋण सहायता कार्यक्रम" - ₹2860.00 लाख का अधिक व्यय (₹40.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "अन्य ग्राम उद्योग - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" - ₹11752.39 लाख का अधिक व्यय (₹88262.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "अन्य व्यय - प्रशिक्षण संस्थाएं" - ₹159.42 लाख का अधिक व्यय (₹4250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

अधिक व्यय उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) Major Head "2851"-

(a) "Small Scale Industries – Credit Support Programme" – excess of ₹2860.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40.00 lakhs);

(b) "Other Village Industries – Prime Minister's Employment Generation Programme" –excess of ₹11752.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹88262.00 lakhs); and

(c) "Other Expenditure - Training Institutions"- excess of ₹159.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4250.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works | | 800.00 | 279.86 | -520.14 |
| मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 4317.00 | .. | .. | .. |
| पु. | R. | -4317.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "4851" ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries | | | | |
| मू. | O. | 3183.00 | 7500.00 | 7500.00 | .. |
| पु. | R. | 4317.00 | | | |

(I) ₹4367.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹4317.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय - लघु उद्योग - राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि." के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹4367.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹4317.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" – "Capital Outlay on North Eastern Areas - Small Scale Industries- National Small Industries Corporation Limited" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "अन्य भवन – अन्य व्यय - कार्यालय आवास का निर्माण - ग्राम और लघु उद्योग" के अंतर्गत ₹520.14 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर काम पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" – "Office Buildings – Other Expenditure – Construction of Office Accommodation – Village and Small Industries" – saving of ₹520.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non-completion of the work by Central Public Works Department within stipulated period.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4851" - "लघु उद्योग - राष्ट्रीय लघु उद्योग लि. में निवेश" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹4317.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4851" - "Small Scale Industries – Investment in National Small Industries Corporation Limited" – excess of ₹4317.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.